2026:AHC:51179

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9318/2026

परमहंस राय .....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य .....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : बृज भूषण पाण्डेय
प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगा गया मुख्य अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपील संख्या टी202414290202870 वर्ष 2024 का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।

4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज दिनांक तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका को संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह उपर्युक्त अपील का बिना कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान किए, पूर्णतः विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करे, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पड़िया, न्यायमूर्ति)

12 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।